न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :— 01/2014

शंकरलाल पुत्र बैजनाथ अग्रवाल जाति महाजन, निवासी टमकोर तहसील मलसीसर हाल आबाद इन्दोर (मध्य प्रदेश) जरिये मुख्तयार नन्दकिशोर पुत्र गोकलचन्द सोनी निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं (राज.)।

—निगरानीकार

—बनाम—

1. ग्राम पंचायत टमकोर जरिये सरपंच विजयकुमार भंसाली, सरपंच ग्राम पंचायत टमकोर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2. राधेश्याम पुत्र स्व. चम्पालाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी टमकोर तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं हाल आबाद कलकता (पं. बंगाल)।
3. पवन कुमार पुत्र स्व. चम्पालाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं हाल आबाद कलकता (पं. बंगाल)।

— गैर निगरानीकारान

निगरानी अ0धा0 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध ग्राम पंचायत टमकोर संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.9.2011
द्वारा जारी पट्टा संख्या 002 दिनांकित 07.10.2011

उपस्थिति :—

1. श्री प्यारेलाल सिलाईच, एडवोकेट — निगरानीकारगण की ओर से।
2. श्री मो. रफीक खान, एडवोकेट — गैर निगरानीकार नं. 2 व 3 की ओर से

—निर्णय— दिनांक :— 16.11.2017

उक्त उनवानी निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव संकल्प संख्या 5 दिनांक 5.9.2011 द्वारा जारी पट्टा संख्या 02 दिनांकित 07.10.2011 ग्राम पंचायत, टमकोर के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि :– गैर निगरानीकार नम्बर 2 व 3 के पक्ष में गैरनिगरानीकार नम्बर 1 द्वारा जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार क स्वामित्व अधिपत्य की है, जिसका ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा दिनांक 29.9.1961, 25.10.1969 व 4.12.1969 को निगरानीकार के नाम पट्टे जारी किये थे, जो पट्टे निगरानीकार के वंशजो के समय से काबिज होने के आधार पर जारी किये गये थे जो ग्राम पंचायत टमकोर के रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत को किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टा निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत टमकोर को अपने रिकार्ड के आधार पर ज्ञान था कि जैर निगरानी पट्टा जो जारी कर रही है वह भूमि निगरानीकार के स्वामित्व कब्जे की भूमि है जिसके निगरानीकार के पक्ष में पट्टे बने हुये है, लेकिन निगरानीकार को हैरान परेशान करने के लिए गैर निगरानीकार नम्बर 1 द्वारा गैर निगरानीकार नम्बर 2 व 3 के पक्ष में षडयंत्र पूर्वक पट्टा जारी किया है। निगरानीकार मध्य प्रदेश में कारोबार के सिलसिले में रहता है। गैरनिगरानीकार नम्बर 1, 2 व 3 उक्त पट्टों के आधार पर निगरानीकार को उसके पट्टेशुदा स्वामित्व की भूमि से बेदखल कर देवे तथा जैर निगरानी पट्टे के आधार पर निगरानीकार के स्वामित्व की भूमि को किसी व्यक्ति को विक्रय कर देवे या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देवें, जिससे निगरानीकार को आर्थिक नुकसान हो तथा मानसिक पीड़ा हो। उसे बेवजह मुकदमे बाजी में उलझना पड़े। सभी गैर निगरनीकार द्वारा किया गया उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए निगरानीकार अलग से अपनाधिक प्रकरण उन्हे दण्डित करवाने के लिए दर्ज करवायेगा। ग्राम पंचायत टमकोर ने सम्पूर्ण कार्यवाही कार्यालय में बैठकर तैयार की है नियमों की पालना नहीं की है। मनमानी कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति के स्वामित्व की कब्जे की भूमि का दीगर व्यक्ति को पट्टा देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। अतः निगरानी निगरानीकार प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत टमकोर का संकल्प संख्या 5 दिनांक 09.05.2011 व पट्टा संख्या 002 दिनांकित 07.10.2011 बहक गैर निगरानीकार नम्बर 2 व 3 निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।ग्राम पंचायत टमकोर की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

सी. पी. पालेचा
सदस्य

दौराने बहस वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगरानीकार नम्बर 2 व 3 के पक्ष में गैरनिगरानीकार नम्बर 1 द्वारा जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार के स्वामित्व अधिपत्य की है, जिसका ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा दिनांक 29.9.1961, 25.10.1969 व 4.12.1969 को निगरानीकार के नाम पट्टे जारी किये थे, जो पट्टे निगरानीकार के वंशजो के समय से काबिज होने के आधार पर जारी किये गये थे जो ग्राम पंचायत टमकोर के रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत को किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टा निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत टमकोर को अपने रिकार्ड के आधार पर ज्ञान था कि जैर निगरानी पट्टा जो जारी कर रही है वह भूमि निगरानीकार क स्वामित्व कब्जे की भूमि है जिसके निगरानीकार के पक्ष में पट्टे बने हुये है, लेकिन निगरानीकार को हैरान परेशान करने के लिए गैर निगरानीकार नम्बर 1 द्वारा गैर निगरानीकार नम्बर 2 व 3 के पक्ष में षडयंत्र पूर्वक पट्टा जारी किये है। ग्राम पंचायत टमकोर ने सम्पूर्ण कार्यवाही कार्यालय में बैठकर तैयार की है नियमों की पालना नहीं की है, जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति के स्वामित्व की कब्जे की भूमि का दीगर व्यक्ति को पट्टा देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। अतः निगरानी निगरानीकार प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत टमकोर का संकल्प संख्या– 5 दिनांक 09.05.2011 व पट्टा संख्या 02 दिनांकित 07.10.2011 बहक गैर निगरानीकार नम्बर 2 व 3 निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकारान ने बताया कि ग्राम पंचायत, टमकोर द्वारा आबादी भूमि में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत विधिक प्रकिया अपनायी जाकर प्रश्नगत पट्टे जारी किये गये हैं। प्रकरण में ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। ग्राम पंचायत टमकोर के प्रस्ताव संख्या–5 दिनांक 05.09.2011 जो सदन का सर्वसमति से लिया गया निर्णय है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाकर निर्णय प्रस्ताव संख्या–5 दिनांक 05.09.2011 को जारी पट्टा संख्या–2 को यथावथ रखा जावें।

मेरे द्वारा निगरानी पत्रावली एवं ग्राम पंचायत टमकोर की पट्टा पत्रावली एवं कार्यवाही रजिस्टर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। निगरानीकार ने निगरानी एवं बहस में प्रश्नगत पट्टे के संबंध में मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि– गैर निगरानीकार नम्बर 2 व 3 के पक्ष में गैरनिगरानीकार नम्बर 1 द्वारा जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार के स्वामित्व अधिपत्य की है, जिसका ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा दिनांक 29.9.

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

1961, 25.10.1969 व 4.12.1969 को निगरानीकार के नाम पट्टे जारी किये थे, जो पट्टे निगरानीकार के वंशजो के समय से काबिज होने के आधार पर जारी किये गये थे जो ग्राम पंचायत टमकोर के रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत को किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है जैर निगरानी पट्टा निरस्त होने योग्य है। निगरानीकार द्वारा उक्त वर्णित पट्टो के संबंध में ग्राम पंचायत टमकोर से रिकार्ड तलब किये जाने हेतु लिखा गया । सचिव, ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा अपने पत्रांक 180 दिनांक 09.11.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि–ग्राम पंचायत टमकोर में दिनांक 29.9.1961, 25.10.1969 व 4.12.1969 को जारी उक्त पट्टों के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत इन पट्टों की वैधानिकता एवं पूर्व में ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा जारी होने की पुष्टि नहीं होती है।

जहां तक प्रश्नगत पट्टा संख्या–02 दिनांक 7.10.2011 का प्रश्न है। गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 राधेश्याम एवं पवन कुमार पुत्रान चम्पाला अग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत टमकोर के समक्ष आबादी भूमि में पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत आवेदन किया गया है। जिस पर हल्का पटवारी टमकोर ने खसरा नंबर 679 गै.मु.आबादी भूमि होने की रिपोर्ट की है। उसके उपरान्त नियमानुसार 3 वार्डपंचों का कमिशन नियुक्त किया गया है। वार्डपंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत हुई । मौका कमिश्नर रिपोर्ट में प्रार्थीगण राधेश्याम एवं पवन कुमार का पुराना रिहायशी कब्जाशुदा भूखण्ड माना है और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने पट्टा जारी करना उचित बताया है। दिनांक 25.7.2011 को ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में आक्षेप/आपति नोटिस जारी किया गया है जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण अंकित किया गया है। दिनांक 5.9.2011 की ग्राम पंचायत टमकोर की बैठक में सर्वसम्मति से उक्त पट्टा जारी करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसकी अनुपालना में पट्टा संख्या 02 दिनांक 7.10.2011 को गैर निगरानीकारान 2 व 3 के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत टमकोर को कार्यवाही रजिस्टर एवं पट्टा पत्रावली के अवलोकन से उक्त पट्टे जारी करने में ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता । निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पट्टों के संबंध में ग्राम पंचायत टमकोर में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अगर निगरानीकार के पास पहले से जारी पट्टे थे तो वे ग्राम पंचायत टमकोर के पास आक्षेप के समय प्रस्तुत करते। निगरानीकार के मौखिक कथनों का खण्डन ग्राम पंचायत के पत्रांक 180 दिनांक 09.11.2017 से होता है। इस प्रकार ग्राम पंचाचत टमकोर द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनायी जाकर जारी किये गये पट्टों को निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास करके निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रायः सरपंच एवं ग्राम सचिव ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों में माइनर विधिक त्रुटियां पाई

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

जाति हैं,लेकिन निगरानीकार ने पत्रावली पर ऐसी कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है जिनपर विश्वास करके एक ग्राम पंचायत सदन द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर जारी किये पट्टों को निरस्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार की इस निगरानी में कोई बल नहीं होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–आदेश–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत टमकोर के प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.09.2011 द्वारा जारी पट्टा संख्या–02 दिनांक 07.10.2011 यथावत रखा जाता है। मिसल ग्राम पंचायत टमकोर आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू